(7)

संख्या : 229/IV(1)/2010–39(सा.)/2006–टी.सी.

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2011

विषयः **कुम्भ मेला, 2010 हेतु वित्तीय वर्ष 20010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि को पी.एल.ए. में रखे जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कुम्भ मेला 2010 हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ 15.00करोड में से ₹ 9.71करोड (रूपया नौ करोड इकत्तर लाख मात्र) की धनराशि को योजनावार व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पी0एल0ए0 में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1–उक्त पी0एल0ए0 में रखी गई धनराशि को शासन स्तर से विभिन्न कार्यों हेतु धनराशि के व्यय की पृथक–पृथक स्वीकृतियां आगणन के तकनीकी परीक्षण के बाद वित्त विभाग की सहमति से निर्गत होने पर ही व्यय किया जायेगा।

2–उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

3–स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा।

4–उक्त धनराशि के उपयोग के समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं मितव्ययित के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5–उक्तानुसार आवंटित धनराशि किसी अन्य मद में व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाएगा।

6–उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

7–उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जायेगा।

8–उक्त धनराशि को मेलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नियमानुसार उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पी0एल0ए0 में रखा जाएगा। उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार का पदभार मेलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी को हस्तगत होने की स्थिति में नए अधिकारी द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त योजनावार धनराशि मेलाधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाएगी।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के 'अनुदान संख्या–13' के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–80– सामान्य– आयोजनागत–800–अन्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07–हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 हेतु अवस्थापना सुविधा" के अन्तर्गत मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1000/XXVII(2)/2010 दिनांक 24, मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 229 (1)/IV(1)/2011 तद्दिनांक 25/3/11

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
10. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।